न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–162/2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018/00153)

01. शन्ति देवी पत्नी हनुमान प्रसाद(मृतक) जरिये

1/1. चिरंजीलाल पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी पोस्ट अलसीसर जिला झुन्झुनू 371025

1/2. संतोष देवी पुत्री हनुमान सहाय पत्नी श्याम सुन्दर ब्राहम्ण, लाईन नम्बर 5 क्वाटर नम्बर 65 विरला नगर ग्वालियार (मध्यप्रदेश) 474004,

1/3. किरण पुत्री हनुमान सहाय पत्नी सांवरमल जाति ब्राहाम्ण निवासी रणजीतपुरा पोस्ट मण्ड्रेला जिला झुन्झुनू 333025,

02. ओमप्रकाश पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राहाम्ण निवासी अलसीसर तहसील अलसीसर जिला झुन्झुनू 371025

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. प्रदीप कुमार पुत्र नन्दलाल शर्मा निवासी खेमी सती रोड महेश टॉकीज के सामने वाली गली झुन्झुनू जिला झुन्झुनू राजस्थान 333001

02. सुरेन्द्र पुत्र प्रहलाद सिंह पूनीया जाट निवासी जे.के.स्कूल क्वाटर अलसीसर पोस्ट अलसीसर जिला झुन्झुनू राजस्थान 331025,

03. अरविन्द पुत्र उम्मेद सिंह जाट निवासी भगवातपुरा पोस्ट बींदासर वाया बिसाउ जिला झुन्झुनू राजस्थान 331027,

04. फूलसिंह पुत्र रूघ्झाराम पूनीया जाट निवासी पोस्ट अलसीसर जिला झुन्झुन राजस्थान 331025,

05. राजकुमारी पत्नी कमल चौमाल निवासी ए/57,56 मार्वे क्वीन अपरखारडी मालवनी–1 मार्वे रेाड़ मलाड(वेस्ट) मुम्बई 400097,

06. देवकरण,

07. विशाल,

08. सिद्धार्थ पुत्रान दकमल चोमाल निवासी ए/57, 56, मारवे क्वीन रोड मलाड(वेस्ट) मुम्बई 40097,

09. सुशीला पत्नी सुभाष चौमाल निवासी 29ए विघाानिया बिल्डिंग बालाराम भवन स्ट्रीट, ग्रान्ट रोड (पूर्व) मुम्बई 400007,

10. प्रदीप,

11. राकेश ,

12. राजेश,

13. अमित,

14. अजय पुत्रान श्यामलाल

15 शिवकला पत्नी श्यामलाल निवासी बी–40 कान्ता अपार्टमेन्ट पतनगर घाट कॉपर मुम्बई 400075,

16. मदनलाल,

17 विनोद,

18. प्रमोद पुत्रान हरीराम ब्राहाम्ण चौमाल मुकाम पोस्ट अलसीसर जिला झुन्झुनू राजस्थान 331025,

19. सुशीला पुत्र हरीराम पत्नी दयानिधि महनिया मार्फत शीतला माता मंदिर के पास राणी सती रोड, झुन्झुनू राजस्थान 333001,

P.T.O.

20 शारदा पुत्री हरीराम पुत्नी रजनीकॉत शर्मा निवासी मार्फत रजीनी एण्ड कम्पनी सी.ए. 261/140 बाबू चेट्टी स्ट्रीट जार्ज टाउन प्रथम फलोर चैन्नई 600001,

21. रेणू पुत्री हरीराम पत्नी पवन कुमार शर्मा महलिया मार्फत सीतारामजी टाईपिस्ट गणेश मंदिर के पास चूणा चौक झुन्झुनू राजस्थान 333001

22. अरूणा पुत्री हरीराम पत्नी श्यामसुन्दर जी शर्मा निवासी एच–7 खण्डेलवाल गार्डन तुलसीपुर महमुरगंज पोस्ट वाराणासी (उत्तर प्रदेश) 221010,

23. सुशील कुमार पुत्र सत्यनारायण चौमाल निवासी 29ए सिंघानिया बिल्डिंग बालाराम भवन स्ट्रीट ग्रान्ट रोड़ (ईस्ट) मुम्बई,

24. अलका पुत्री श्यामलाल पत्नी पवन शर्मा निवासी विस्प्रिंग पॉम अधुर्ली रोड लोखण्डवाला कांडीवली (ईस्ट) मुम्बई

25. चिरंजी जाजल पुत्र हनुमान प्रसाद ब्राहाम्ण मु. पोस्ट अलसीसर जिला झुन्झुनू राजस्थान 331025

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री अंकित सोनी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 13.04.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगरयत 25 एक ही परिवार के सदस्य है तथा ग्राम अलसीसर के खसरा नम्बर 293 के 16.19 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में रामकुंवर पुत्र सूरजमल व खसरा नम्बर 77 के 35.16 बीघा कन्हैयालाल, सत्यानारायण, हरीराम पुत्रान रामकुंवर 3/4 हिस्सा व श्यामलाल पुत्र केदारमल 1/4 हिस्सा दर्ज थी। रामकंवार व कन्हैयालाल की मृत्यु के पश्चात् सरपंच ग्राम पंचायत अलसीसर ने नामान्तरकरण संख्या 303 दिनांक 0212.1970 को स्वीकृत किया तथा नामान्तरकरण संख्या 303 में परिवर्तित अंकन सत्यानारायण, हरीराम पुत्रान रामकुंवार, हनुमान पुत्र कन्हैयालाल व श्यामलाल पुत्र केदारनाथ किया गया इसके साथ ही नामान्तरकरण संख्या 303 के माध्याम से भूमि का विभाजन कर दिया गया जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने अपील संख्या 6/11 उनवानी ओमप्रकश बनाम हरीराम आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 11.11.2011 द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 303 दिनांक 02.12.1970 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार झुन्झुनू को प्रतिप्रेषित कर दिया जिस निर्णय दिनांक 11.11.2011 के विरूद्ध दो अपीलें न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हुई जिन दौनों

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

अपीलें को निर्णय दिनांक 17.04.2013 द्वारा निर्णित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 11.11.2011 निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 303 दिनांक 02.12.1970 को बहाल कर दिया तथा न्यायालय श्रीमान् के उक्त निर्णय दिनांक 17.04.2013 के विरूद्ध अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दो निगरानियॉ प्रस्तुत की जिन्हे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 12.05.2017 द्वारा स्वीकार करते हुये तहसीलदार मलसीसर को प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने प्रकरण में विवादित मुदृदों को एवं विधि के प्रावधनों को कतई सही एवं वास्तविक अर्थो में समझे बिना ही एक अनुचित, अवैध तथा परवर्स अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 12.05.2017 की कतई कोई सही अर्थो में पालना नही कर अपीलार्थी एवं अन्य समस्त पक्षकारों को कतई अवसर एवं नोटिस दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सहज एवं सामान्य सिद्धान्तों की घोर अपेक्षा कर अपना अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 17.04.2018 को अपीलार्थी के अभिभाषक श्री अनवर खान तहसीलदार मलसीसर के न्यायालय में उपस्थित ही नही थे उनके पिताजी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी एवं ब्रेनहेमरेज हो गया इस कारण ईलाज हेतु अपीलार्थी के वकील श्री अनवर खान जयपुर आ गये इस बाबात अपीलार्थी ने तहसीलदार के समक्ष दिनांक 17.04.2018 को लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज पेश करने हेतु तहसीलदार मलसीसर से अवसर भी मांगा था किन्तु तहसीलदार ने बिना अवसर दिये ही एक ही दिन में अपना निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2018 निरस्त फरमाया जाकर भूमि वादग्रस्त के 1/4 हिस्से अर्थात 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित अपने निर्णय दिनांक 12.05.2017 में सद्भावी क्रेताओं के नाम रिकार्ड में अंकन का यथावत रखते हुए नामान्तरकरण जिसकी पालना में प्रकरण के समस्त पक्षकारानों को सनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने व अधिवक्तागण को साक्ष्य, प्रस्तुत करने व बहस हेतु समय देने पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट को अनावश्यक रूप से परेशान व हैरान करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि यह निर्विवाद तथ्य है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 25 एक ही परिवार के सदस्य है तथा नामान्तरकरण संख्या 303 पर ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा दिनांक 02.12.1970 को स्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध ओमप्रकाश द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू कें समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिस अपील को स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया एवं उक्त उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समख अपील प्रस्तुत होने एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रिविजन होने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के समक्ष रिमाण्ड किया गया है जिसकी पालना में तहसीलदार मलसीसर द्वारा पैतृक भूमि के 1/4 हिस्सेदार सत्यनारायाण के वारिसान के द्वारा विक्रय करना पाये जाने पर क्रेताओं के हिस्से की भूमि उनके नाम होने व शेष भूमि शान्ति बेवा हनुमान, चिरंजीलाल, सुधीर, ओमप्रकाश पुत्रान हनुमान 1/4 हिस्सा बहिन्ब हरिराम पि0 रामकुंवार 1/4 हिस्सा व श्याम लाल/केदारमल 1/4 हिस्सा व सत्यनारायण पुत्र रामकुंवार के 1/4 हिस्सा में विक्रयशुदा भूमि कम करके शेष भूमि दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2018 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।